GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 106
TO BE ANSWERED ON 29.01.2026

VARIATION IN MINIMUM WAGES

106. SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a) the details of reasons for variation in minimum wages across States;
(b) the details of minimum wages since 2020, State-wise and year-wise; and
(c) the increase in Variable Dearness Allowance (VDA) on basic rates of minimum wages since 2020, State-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)

(a) to (c): The minimum wage rates are determined and revised according to the specific needs and economic conditions of each region, which results in variations across different States and sectors.

However, such data of State-wise minimum rate of wages is not maintained centrally.

Further, in order to take care of the rising prices, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months, effective from 1st April and 1st October of every year based on Consumer Price Index for Industrial workers. Latest V.D.A. in the central sphere as applicable from 01.10.2025 is at Annexure.

The provisions of the Minimum Wages Act, 1948 have been rationalized and subsumed under the Code on Wages 2019, which have been made effective from 21.11.2025 with the aim to universalize the applicability of Minimum Wages across all employments.

Contd..2/-

:_: www.staffnews.in :_:

The Code on Wages, 2019 empowers both Central and State Governments as appropriate governments to fix, review and revise the minimum rates of wages for the establishments falling under their respective jurisdiction.

The Code on Wages, 2019 makes the floor wage as a statutory provision. Section 9 of the Code on Wages, 2019 provides for fixing of floor wage by the Central Government. Further, the Code stipulates that the minimum rates of wages fixed by the appropriate Governments shall not be less than the floor wage.

***   *******

:_: www.staffnews.in :_:

ANNEXURE

Annexure referred to in reply of Rajya Sabha Unstarred Question No. 106 for 29/01/2026 regarding “Variation in minimum wages” raised by Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya.

Area wise Rates of Minimum Wages in the Central Sphere (as on 01.10.2025)

<table>
<tr><th rowspan="2">Sr. No.</th><th rowspan="2">Scheduled Employment</th><th rowspan="2">Category of Workers</th><th colspan="3">Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)</th></tr>
<tr><th>Area A</th><th>Area B</th><th>Area C</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">Agriculture</td><td>Unskilled</td><td>514</td><td>470</td><td>465</td></tr>
<tr><td>Semi-skilled/ Unskilled Supervisory</td><td>562</td><td>516</td><td>475</td></tr>
<tr><td>Skilled/ Clerical</td><td>610</td><td>562</td><td>515</td></tr>
<tr><td>Highly-skilled</td><td>675</td><td>628</td><td>562</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sweeping and Cleaning +</td><td>Unskilled</td><td>805</td><td>674</td><td>541</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">Watch and Ward</td><td>Without Arms (Upgraded to skilled with training)</td><td>981</td><td>893</td><td>760</td></tr>
<tr><td>With Arms (Upgraded to highly skilled for supervision)</td><td>1065</td><td>981</td><td>893</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Loading & Unloading #</td><td>Unskilled</td><td>805</td><td>674</td><td>541</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5.</td><td rowspan="4">Construction ^</td><td>Unskilled</td><td>805</td><td>674</td><td>541</td></tr>
<tr><td>Semi-skilled/Unskilled Supervisory</td><td>893</td><td>760</td><td>632</td></tr>
<tr><td>Skilled/Clerical</td><td>981</td><td>893</td><td>760</td></tr>
<tr><td>Highly-skilled</td><td>1065</td><td>981</td><td>893</td></tr>
<tr><td rowspan="10">6.</td><td rowspan="10">Workers engaged in Stone Mines for Stone Breaking and Stone Crushing</td><td colspan="4">1.Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift:*</td></tr>
<tr><td colspan="2">(a) Soft Soil</td><td colspan="2">545</td></tr>
<tr><td colspan="2">(b) Soft Soil with Rock</td><td colspan="2">818</td></tr>
<tr><td colspan="2">(c) Rock</td><td colspan="2">1083</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Removal and Staking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5metres lift *</td><td colspan="2">438</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. Stone breaking or Stone Crushing for the stone size of category**</td></tr>
<tr><td colspan="2">(a) 1.0 inch to 1.5 inches</td><td colspan="2">3323</td></tr>
<tr><td colspan="2">(b) Above 1.5 Inches to 3.0 Inches</td><td colspan="2">2842</td></tr>
<tr><td colspan="2">(c) Above 3.0 Inches to 5 Inches</td><td colspan="2">1669</td></tr>
<tr><td colspan="2">(d) Above 5.0 Inches</td><td colspan="2">1372</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Non-coal Mines $</td><td colspan="2"></td><td>Above Ground {Rates of Wages</td><td>Below Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)}</td></tr>
</table>

:_: www.staffnews.in :_:

			including V.D.A per day (in Rs.)}	
		Unskilled	541	674
		Semi-skilled/Unskilled Supervisory	674	805
		Skilled/Clerical	805	938
		Highly-skilled	938	1048

* Per 2.831 cubic meters or 100 cubic feet
** Per truck load of 5.662 cubic meters or 200 cubic feet

+ Employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding Activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.

Employees engaged in the employment of Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways; (ii) Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic).

^ Employees engaged in the employment of construction or maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines.

$ Employees engaged in the employment of Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate and Magnetite Mines.

(Contd/-)

:_: www.staffnews.in :_:

Classification of Area

AREA – “A”					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	
Bengaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Navi Mumbai		Pune	(UA)		
AREA – “B”					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneshwar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvanantapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)	Gorakhpur	(UA)
Nanded Waghala	(M. Corpn)	Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)	Guntur	(UA)
Panchkula	(UA)	Guwahati	(UA)	Patna	(UA)
Area ‘C’ will comprise all areas not mentioned in this list. NB: U.A. stands for Urban Agglomeration.					

*****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 106
गुरूवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता

106 श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में न्यूनतम मज़दूरी में भिन्नता के कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2020 से न्यूनतम मजदूरी का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्ष 2020 से न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परवर्ती महंगाई भत्ते (वीडीए) में राज्य-वार कितनी बढ़ोतरी हुई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों के अनुसार निर्धारित और संशोधित की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्नता होती है।

हालाँकि, मजदूरी की न्यूनतम दर का ऐसा राज्य-वार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी, न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) हर छह महीने में संशोधित करती है। केंद्रीय क्षेत्र में दिनांक 01.10.2025 से लागू नवीनतम वी.डी.ए. **अनुबंध** में संलग्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के तहत शामिल कर लिया गया है, जिसे सभी रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की प्रयोज्यता को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी कर दिया गया है।

मजदूरी संहिता, 2019 केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों को समुचित सरकारों के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार देती है।

मजदूरी संहिता, 2019 'फ्लोर वेज' (न्यूनतम आधार वेतन) को एक वैधानिक प्रावधान बनाती है। मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 9 केंद्र सरकार द्वारा फ्लोर वेज तय करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, संहिता यह निर्धारित करती है कि समुचित सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की दरें फ्लोर वेज से कम नहीं होंगी।

*   ****

:_: www.staffnews.in :_:

अनुबंध

'न्यूनतम मजदूरी में भिन्नता' के संबंध में श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें (दिनांक 1.10.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	अनुसूचित रोजगार	कामगारों की श्रेणी	मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है		
			क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1.	कृषि	अकुशल	514	470	465
		अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	562	516	475
		कुशल/लिपिकीय	610	562	515
		अतिकुशल	675	628	562
2.	झाड़ू लगाना एवं सफाई करना+	अकुशल	805	674	541
3.	पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के (प्रशिक्षण द्वारा उन्नयन करके कुशल बनाना)	981	893	760
		शस्त्र के साथ (पर्यवेक्षण के लिए उन्नयन करके उच्च कुशलता प्राप्त बनाना)	1065	981	893
4.	लादना एवं उतारना #	अकुशल	805	674	541
5.	सनिर्माण ^	अकुशल	805	674	541
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	893	760	632
		कुशल/लिपिकीय	981	893	760
		अति कुशल	1065	981	893
6.	पत्थर के खादानों में पत्थर तोड़ने और पत्थर पिसाई में	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:*			
		(क) नरम मिट्टी		545	
		(ख) चट्टानयुक्त नरम मिट्टी		818	
		(ग) चट्टान		1083	

	कार्यरत मजदूर	**2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को हटाने एवं जमा करने में ***	438	
		3. निम्न श्रेणी के आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए **		
		(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	3323	
		(ख) 1.5 इंच से ऊपर 3.0 इंच तक	2842	
		(ग) 3.0 इंच से ऊपर 5.0 इंच तक	1669	
		(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1372	
7.	**गैर-कोयला खानें$**		**भूमि के ऊपर { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**	**भूमि के नीचे { मजदूरी की दर जिसमें प्रतिदिन का वीडीए (रुपये में) शामिल है }**
		अकुशल	541	674
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	674	805
		कुशल/लिपिकीय	805	938
		अति कुशल	938	1048

*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर अथवा 100 क्यूबिक फीट

** प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर अथवा 200 क्यूबिक फीट भार

+ सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर झाड़ू लगाने और साफ सफाई के कार्य में लगे कर्मचारी।

रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालयों में लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगे कर्मचारी; **(ii)** अन्य गुड्स शेड, गोदाम, भंडारगृह और अन्य समान रोजगार; **(iii)** गोदी और पत्तन; और **(iv)** हवाई अड्डों में यात्री सामान और कार्गो (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) ले जाने वाले कर्मचारी।

^ भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेश से संचार संबंधी केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबल बिछाने के कार्य, विद्युत लाइन, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइन को बिछाने सहित सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन संचालन में लगे कर्मचारी।

$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, मिट्टी की खान, मैग्नेसाइट खान, व्हाइट क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन्स तथा टेल्क बनाने वाली खदान सहित) के रोजगार में लगे कर्मचारी), गेरू की खदान, अभ्रक की खदानों, फायर क्ले की खदानों, क्रोमाइट की खदानों, क्वार्टजाइट की खदानों, क्वार्ट्ज की खदानों, सिलिका की खदानों, ग्रेफाइट की खदानों, फ़ेलस्पार की खदानों, लेटराइट की खदानों, डोलोमाइट की खदानों, रेड ऑक्साइड की खदानों, वोल्फ्राम की खदानों, लौह अयस्क की खानों, ग्रेनाइट खदानों, रॉक फॉस्फेट खदानों, हेमेटाइट खदानों, संगमरमर और कैल्साइट खदानों, यूरेनियम खदानों, अभ्रक खदानों, लिग्नाइट खदानों, बजरी खदानों, स्लेट और मैग्नेटाइट खदानों में काम करने वाले कर्मचारी।

जारी–2/-

:_: www.staffnews.in :_:

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुड़गाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र - "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली, धारवाड़	(नगर निगम))	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-कैंट.	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सालेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवनंतपुरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई-विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपुर	(यूए)
नांदेड़ वाघाला	(नगर निगम)	ग्रेटर विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं है।

एनबी : यूए शहरी समूह के लिए दिया गया है।

******

:_: www.staffnews.in :_: